कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ0ग0)

|| आदेश ||

क्रमांक 111/तीन–3–1/2013 **बालोद, दिनांक 06/04/2024**

इस स्थापना हेतु कार्यालय आदेश क्र. 63/तीन–3–1/2013 बालोद, दिनांक 21.02.2024 के अनुसार आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन) के रिक्त 01 पद हेतु नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, किंतु उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि तक इस स्थापना में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, जिससे उक्त पद रिक्त है।

अतः आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले (वाटरमेन) के अनारक्षित मुक्त वर्ग के रिक्त 01 पद पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची में से वर्गवार एवं वरीयता अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर निम्न तालिका में अंकित अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाता है :–

नाम	पिता का नाम	पद का नाम	नियुक्ति का वर्ग	अभ्यर्थी का वर्ग	पता
श्री शेख मुस्ताक	श्री शेख मुराद	वाटरमेन	अनारक्षित मुक्त वर्ग	अ.पि.व.	आदर्शनगर, वार्ड क्र. 6, कवर्धा, जिला–कबीरधाम, (छ.ग.)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाती है :–

1. आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले (वाटरमेन) के पद पर नियुक्त कर्मचारी को **दिनांक 22.04.2024** तक अनिवार्य रूप से जिला न्यायालय बालोद के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
2. चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल प्रतिवेदन पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
3. आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मापदण्ड के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें समय–समय पर जो भी कार्य सौंपा जायेगा उसे सहर्ष पूरा करेंगे।
4. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
5. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी. (सी.) कमांक 19668/2022 एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC No. 591/2012, 592/2012, 593/2012, 594/2012 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)

पृ.क्र. 1017/तीन–3–1/2013 **बालोद, दिनांक 06/04/2024**

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, बालोद
2. जिला कोषालय अधिकारी, बालोद
3. **श्री शेख मुस्ताक** पिता श्री शेख मुराद पता आदर्शनगर, वार्ड क्र. 6, कवर्धा, जिला–कबीरधाम, (छ.ग.) की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे **दिनांक 22.04.2024 तक** आवश्यक रूप से समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों व दस्तावेजों सहित अपने चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करायें।
4. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, बालोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)